फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

भगवान सहाय बनाम सरकार वगै0

संख्या : 135 / 2023

ांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, जवाब पैरोकार सरकार एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम रतनपुरा हरिपुरा, पटवार हल्का गठवाडी में कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 3/1 रकबा 40 बीघा, खसरा नम्बर 6/1 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 55 बीघा 12 बिस्वा जिसके तरमीम शुदा खसरा नम्बर 3/4 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 6/3 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा कायम करके नक्शें में व जमाबन्दी मे कायम कर दिये गये थे तथा सेटलमेंट के बाद बने नवीन खसरा नम्बर 976/9 रकबा 0.95है0, खसरा नम्बर 980/17 रकबा 0.41है0 बनाये गये है। उक्त भूमियां साबिक खसरा नम्बर 3/1, 6/1 से बनायी गयी भूमियां है जिसमें तरमीम करके प्रार्थीगण के तरमीम शुदा खसरा नम्बर 3/4 व 6/3 कायम करके नक्शें में तरमीम कर दी गई थी तथा जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया था। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है लेकिन नवीन नक्शा कायम करते समय राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से प्रार्थीगण की उक्त भूमियों की तरमीम नही की तथा नवीन नक्शा कायम कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण की तरमीम शुदा को तरमीम करके अंकित नही किया गया है जिसको दुरूस्त करके नवीन नक्शें में पूर्व नक्शें अनुसार तरमीम करना आवश्यक व न्यायसंगत है। उक्त नवीन नक्शें में तरमीम नही होने के कारण प्रार्थीगण अपनी भूमियों का सीमाज्ञान व पत्थरगढी सही रूप से नही करवा पा रहे है जिससे प्रार्थीगण की उक्त भूमियों को पडोसी खातेदारों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जिसके पूर्व खसरा नम्बर 3/4 व 6/3 व नये खसरा नम्बर 976/9 व 980/17 रकबा 1.36है0 स्थित ग्राम रतनपुरा हरिपुरा में स्थित भूमि को नवीन नक्शा ट्रेस को पुनः पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार किये जाने व पूर्व नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश फरमावें। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम रतनपुरा हरिपुरा के वर्तमान जमाबन्दी संवत 2070-73 के खसरा नम्बर 976/9 रकबा 0.95है0, 980/17 रकबा 0.41है0, नारायण सहाय, भगवान सहाय, हनुमान सहाय पुत्रान रामनाथ जाति बलाई सा0देह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वर्तमान नक्शाशीट में सेटलमेंट होने पर नयी नक्शाशीट में उक्त खसरा नम्बरो की तरमीम नही की गई है। प्रार्थी की पूर्व नक्शा लटठा सन 1949-50 में	

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीयान की खसरा नम्बर 3/4 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व 6/3 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा की तरमीम की हुई है। लेकिन तरमीम कर्ता पटवारी हल्का व भू अभि0निरी0 के लठठे में हस्ताक्षर नही है। इनके लगवा साबिक खसरा नम्बर 3/2, 6/1 है इनकी भी नक्शें लठठे में तरमीम कर्ता के हस्ताक्षर नही है तथा खसरा नम्बर 3/4 च 6/3 की नये नक्शें शीट में तरमीम की जाती है तो साबिक खसरा नम्बर 3/2 हाल नये खसरा नम्बर 10 रकबा 2.57है0 प्रभावित होगा। वर्तमान में खसरा नम्बर 10 की पूर्व की सीमाएं प्रभावित होगी। जिसे सुना जाना आवश्यक है।

पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार की रिपोर्ट, वकील प्रार्थी की लिखित बहस एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार करना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर